

:: राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर ::

क्रमांक-:प.1(1)कार्मिक/नि.चि./2011/174

दिनांक-: 12/4/11

:: कार्यालय आदेश ::

राजस्थान हाऊसिंग बोर्ड चिकित्सा विनियम-1970 के अन्तर्गत राजस्थान हाऊसिंग बोर्ड के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों की चिकित्सा सुविधा में विस्तार करते हुए निम्नलिखित चिकित्सालयों को मण्डल द्वारा निर्धारित सामान्य शर्तों के साथ चिकित्सा उपयोग हेतु मान्यता प्रदान की जाती है। निम्न चिकित्सालयों द्वारा कुल विल पर 15 प्रतिशत की छूट देय होगी:-

क्र.स.	चिकित्सालय का नाम एवं पता	दूरभाष/मोबाईल नम्बर
1.	एस.एन.पारीक मेमोरियल हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर, 3,बसन्त विहार कोटा (राज.)।	0744-2402770 2402271

उक्त आदेशों को माननीय अध्यक्ष महोदय का अनुमोदन प्राप्त है तथा मण्डल के निर्णय की पूर्व अपेक्षा में जारी किया जाता है।

Sd-
सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है:-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त/मुख्य अभियंता,रा.आ.मं.,जयपुर।
2. निजी सचिव-सचिव/वि.स.एव मुख्यलेखाधिकारी राजस्थान आवासन मण्डल जयपुर।
3. अतिरिक्त मुख्य अभियंता राजस्थान आवासन मण्डल जयपुर।
4. उप आवासन आयुक्त, वृत्त-..... राजस्थान आवासन मण्डल,
5. आवासीय अभियन्ता खण्ड..... राजस्थान आवासन मण्डल
6. अध्यक्ष, एस.एन.पारीक मेमोरियल हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर, 3,बसन्त विहार कोटा।
7. नोटिस बोर्ड/रक्षित पत्रावली।

Sd-
सचिव 12/4/11